कारा / स्था०(चि०)–01–04 / 2016 607

# बिहार सरकार
## कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
## गृह विभाग (कारा)

*अनौपचारिक रूप से वित्त विभाग से परामर्शित*

प्रेषक,

**राजीव वर्मा,**
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन)
बिहार, पटना।

सेवा में,

**महालेखाकार,**
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 13-2-2017

विषयः– **राज्य की काराओं में कारा चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने हेतु निदेशक एवं उप निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा के दो पदों की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

राज्य की विभिन्न काराओं में गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियमित तथा संविदा पर नियोजन हेतु चिकित्सकों के पदों का सृजन किया गया है। कुल सृजित नियमित चिकित्सकों के पदों की संख्या–71 तथा अनुबंध आधारित पदों की संख्या–155 है।

2. राज्य के विभिन्न काराओं में पदस्थापित चिकित्सकों का मूल दायित्व बंदियों का ससमय आवश्यकतानुसार इलाज करना और उन्हें देय सभी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। उल्लेखनीय है कि कारा अत्यंत संवेदशील स्थल है, जहाँ किसी भी बंदी के चिकित्सा में कमी अथवा त्रुटि परिलक्षित होने पर इसे गंभीरता से लिया जाता है। मामला मानवाधिकार आयोग और माननीय न्यायालय के संज्ञान में जाता है जिससे सरकार को विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है

3. उक्त आलोक में प्रशासी पदवर्ग समिति को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक–30.11.2016 की बैठक में राज्य की काराओं में कारा चिकित्सा सेवा को सृदृढ बनाने हेतु निदेशक एवं उप निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा के दो पद सृजन करने के स्वीकृति के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी है :–

| क्र0 | पदनाम | बैण्ड वेतन | पी.बी. | ग्रेड पे | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा | 37400–67000 | PB-4 | 8700 | 01 |
| 2 | उप निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा | 15600–39100 | PB-3 | 7600 | 01 |

4. उक्त दोनों पद पर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से सेवा प्राप्त चिकित्सकों को प्रतिनियुक्त किया जायेगा।

5. अतः उक्त तथ्यों के आलोक में राज्य की काराओं में कारा चिकित्सा सेवा को सृदृढ बनाने हेतु कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय मुख्यालय के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से सेवा प्राप्त चिकित्सकों से निदेशक एवं उप निदेशक के पद पर पदस्थापन हेतु दो पदों के सृजन के संबंध में राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है :–

| क्र0 | पदनाम | बैण्ड वेतन | पी.बी. | ग्रेड पे | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा | 37400–67000 | PB-4 | 8700 | 01 |
| 2 | उप निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा | 15600–39100 | PB-3 | 7600 | 01 |

6. उपरोक्त दोनों सृजित पद पर कुल अनुमान्य वार्षिक वित्तीय भार रु 22,27,440/– (बाइस लाख सताइस हजार चार सौ चालीस) रुपया होगा।

7. उपर्युक्त स्वीकृत पदों पर होने वाले व्यय का विकलन मांग संख्या–22 के अन्तर्गत विभिन्न अनुमान्य शीर्षो यथा–मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष–0001–जेल निरीक्षणालय, विपत्र कोड– N205600010001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

13.2.17

**संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन)**
**बिहार, पटना।**

ज्ञापांक:– कारा/स्था०(चि०)–01–04/2016 607 दिनांक 13-2-2017

प्रतिलिपि:–मन्त्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक–03.02.2017 को मद संख्या–02 के रूप में मन्त्रिपरिषद द्वारा निर्णय के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.2.17

**संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन)**
**बिहार, पटना।**

ज्ञापांक:– कारा/स्था०(चि०)–01–04/2016 607 दिनांक 13-2-2017

प्रतिलिपि:–वित्त विभाग, बिहार, पटना/स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.2.17

**संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन)**
**बिहार, पटना।**

ज्ञापांक:– कारा/स्था०(चि०)–01–04/2016 607 दिनांक 13-2-2017

प्रतिलिपि:–गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.2.17

**संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन)**
**बिहार, पटना।**

ज्ञापांक:– कारा/स्था०(चि०)–01–04/2016 607 दिनांक 13-2-2017

प्रतिलिपि:–सभी अधीक्षक, केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उपकारा/मुक्त कारागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.2.17

**संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन)**
**बिहार, पटना।**

ज्ञापांक:– कारा/स्था०(चि०)–01–04/2016 607 दिनांक 13-2-2017

प्रतिलिपि:– आई०टी० मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.2.17

**संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन)**
**बिहार, पटना।**